न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.,जिला कलक्टर नागौर

रसद मामला संख्या– 102 / 2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021 / 150

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये देवाराम सारण, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्योलय, नागौर		1. चेनाराम पुत्र नेमाराम जाति जाट निवासी खेराट तहसील जायल जिला नागौर 2. मोहम्मद याकुब खान पुत्र गफूर खान निवासी इस्लामाबाद कडोरा, तहसील कल्पी जिला जलून–285203 3. युसेफ अली पुत्र अब्दुल हसीम निवासी सींगागुरी ईनाची नियर आर्मी केम्प टीसीपी लेखापानी तिनसुकिया–786182 4. मैसर्स ड्रीम ग्रीन प्लांटिग ख0नं0 49 व्हाईट हाउस होटल के पीछे, मौलासर रोड़, निमोद (नागौर)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल एवं अप्रार्थी संख्या–1 चेनाराम स्वंय।

निर्णय **दिनांक** – 07-09-2022

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD आर्डर 2005 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा मौके पर एक ट्रक नं. यू.पी. 92 टी. 9044 व एक पिकअप नम्बर ए.एस. 23 सीसी. 2562 व एक छोटा टैंकरनुमा पिकअप नम्बर आर.जे. 21 जी.सी. 6942, ड्रम 10 प्लास्टिक एवं 13 प्लास्टिक टंकिया एवं 8200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के मालिक होने से आदेशिका दिनांक 06.07.2022 अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 से 4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या–4 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 02.08.2022 अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 07.09.2022 के अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि दिनांक 27.09.2021 को जरिये तहरीर पुलिस थाना कोतवाली नागौर की ओर से सूचना मिली कि दिनांक 25.09.2021 की रात्रि गश्त के दौरान हैड कानिस्टेबल श्री कृष्ण बैल्ट नं. 329 हाल पुलिस लाईन नागौर, श्री चेतक डयूटी प्रभारी कस्बा नागौर ने बताया कि महावीर गौ–शाला गुडला चौराहा नागौर के पास पडत सरकारी जमीन पर एक ट्रक नं. यूपी. 92 टी. 9044 व एक पिकअप नम्बर ए.एस. 23 सीसी .2562 व एक छोटा टैंकर नुमा पिकअप नम्बर आर.जे. 21 जी.सी. 6942 जो खडी थी। ट्रक मे रखी टंकियो मे से पिकअप मे रखे ड्रमों मे तेल भरा जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली के जाब्ते द्वारा उपर्युक्त तीनों वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ पुलिस थाना कोतवाली मे खडे करवाये गये। दिनांक 28.09.2021 को श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी नागौर, हमराह श्री रामजीवन बेनीवाजल प्रवर्तन अधिकारी, दिव्या बिश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक कोतवाली थाना पहुंचकर उपर्युक्त तीनों वाहनों की जांच गवाहान के समक्ष की गई जिसमें बोलेरो पिकअप वाहन संख्या ए.एस. 23 सीसी. 2562 में प्लास्टिक के 8 ड्रम भरे हुए व 2 ड्रम खाली पाये गये। डीप रॉड से मापने पर इन ड्रमों मे पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्येक ड्रम में 200–200 लीटर (7ड्रम)

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर,नागौर

एवं एक ड्रम में 180 लीटर इस प्रकार कुल 1580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आ.जे. 21 जी.सी. 6942 जिस पर लगभगर 2000 लीटर क्षमता का एक टैंकर बना हुआ था। टैंकर के पिछे एक डिस्पेसिंग यूनिट मय नोजल लगा हुआ पाया गया। डिस्पेसिंग यूनिट पर पेट्रोलियम पदार्थ की माप प्रदर्शित करने लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ पाया गया। इस टैंकर मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रॉड से माप करने पर टैंकर मे 1920 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। ट्रक वाहन संख्या यू.पी. 92 टी. 9044 में अलग अलग क्षमता की 13 प्लास्टिक टंकिया पाई गई जिसमें भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डीप रॉड से मापन करने पर 1000 लीटर क्षमता की 3 भरी हुई टंकियो में 950–950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कुल 2850 लीटर व एक 2000 लीटर क्षमता की भरी हुई प्लास्टिक की टंकी मे 1850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त ट्रक में 1000 लीटर क्षमता की 8 खाली टंकिया व 2000 लीटर क्षमता की एक खाली टंकी पाई गई। इस प्रकार उक्त ट्रक में कुल 4700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर तहरीर में इन वाहनों के अप्रार्थी मालिक श्री चौनाराम उपस्थित थे जिनके समक्ष उपरोक्त जांच की कार्यवाही की गई। अप्रार्थी श्री चेनाराम द्वारा बताया कि यह ट्रक, टैंकर व पिकअप मेरे है तथा यह पेट्रोलियम पदार्थ मेरे द्वारा घरेलू कार्य के लिए जोधपुर से खरीद करके लाना बताया एवं ट्रक मे रखे हुए टंकियो मे से छोटे ड्रमों मे एवं टैंकर मे भरकर घर ले जाना बताया। इसी दौरान पुलिस द्वारा रूकवाकर पुलिस थाना कोतवाली में खड़ा कर दिया। अप्रार्थी श्री चेनाराम से पेट्रोलियम पदार्थ के इतनी बड़ी मात्रा में खरीद, भण्डारण व विकय सम्बन्धी लाईसेंस के बारे में पूछताछ करने पर नही होना बताया। अप्रार्थी श्री चेनाराम से इस पेट्रोलियम पदार्थ के खरीद सम्बन्धी बिल के बारे में पूछताछ करने पर नही होना बताया। अप्रार्थी श्री चेनाराम के समक्ष तीनों ही वाहनों की तलाशी ली गई जिसमें कोई दस्तावेज नही पाये गये। इस प्रकार मौके पर तीनों वाहनों मे भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ, पिकअप टैंकर मे लगी हुई डिस्पैसिंग यूनिट एवं अप्रार्थी श्री चेनाराम के बयानो से स्पष्ट है कि श्री चेनाराम द्वारा अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा है जो कि पेट्रोलियम उत्पाद **MS & HSD** आदेश 2005 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए मौके पर एक ट्रक नं. यू.पी. 92 टी. 9044 व एक पिकअप नम्बर ए. एस. 23 सीसी. 2562 व एक छोटा टैंकरनुमा पिकअप नम्बर आर.जे. 21 जी.सी. 6942, ड्रम 10 प्लास्टिक एवं 13 प्लास्टिक टंकिया एवं 8200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को वास्ते सबूत जब्त सरकार किया गया। वाहनों के मालिक अप्रार्थी श्री चेनाराम एवं गवाहानों के समक्ष तीनों वाहनों मे भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ मे से सैम्पल हेतु एक साफ सुथरी बाल्टी मे पेट्रोलियम पदार्थ लिया गया एवं 1–1 लीटर के तीन एल्युमिनियम पात्रो में भरा गया मौके पर तीनों को सीलड किया गया जिसमे नमूना ए–9695792 सील कमांक, नमूना बी. सील कमांक 9695712 व नमूना सी. सील कमांक 9695743 दिया गया। एक सैम्पल अप्रार्थी श्री चेनाराम को दिया गया। मौके पर एक ट्रक नं. यू.पी. 92 टी. 9044 व एक पिकअप नम्बर ए.एस. 23 सीसी. 2562 व एक छोटा टैंकर नुमा पिकअप नम्बर आर.जे. 21 जी.सी. 6942, ड्रम 10 प्लास्टिक एवं 13 प्लास्टिक टंकिया एवं 8200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को पुलिस थाना कोतवाली नागौर की सुपुर्दगी में दिया गया और प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। अप्रार्थी श्री चेनाराम का यह कृत्य पेट्रोलियम उत्पाद **MS & HSD** आदेश 2005 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच हेतु आर.एस.एफ.एल. जोधपुर को भेजा गया।

2(1)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/6234/CAE/ 137/21 दिनांक 21.12.2021 में वर्णित किया गया है कि The liquid sample from the packet marked A did not confirm the BIS specification of Diesel (IS-1460 : 2017) in respect of density at 15°C. On the basis of distillation characteristics the above sample was found to be of petroleum fraction of boiling point range from 195°C to 369°C having density 0.7780 at 15°C and flash point 62°C (Able). प्राप्त हुई है। **पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा–2. परिभाषाएं**–(खख) "पेट्रोलियम वर्ग ख" से ऐसा पेट्रोलियम अभिप्रेत है जिसका प्रज्वलन ताप तेईस डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर किन्तु पैंसठ डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। उक्त नमूना जॉच रिपोर्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

में जब्त शुदा पेट्रोलियम पदार्थ का flash point 62°C (Able). बताया गया है, जो कि उक्तानुसार अनुसार "ख" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है, का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तसुदा मौके पर एक ट्रक नं. यू.पी. 92 टी. 9044 व एक पिकअप नम्बर ए.एस. 23 सीसी. 2562 व एक छोटा टैंकरनुमा पिकअप नम्बर आर.जे. 21 जी.सी. 6942, ड्रम 10 प्लास्टिक एवं 13 प्लास्टिक टंकिया एवं 8200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3. अप्रार्थी संख्या–1 चेनाराम ने स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से दिनांक 05.05.2022 को इस प्रकरण में जबाब प्रस्तुत किया गया था, जो प्रार्थी द्वारा अज्ञानतावशः गलत जबाब प्रस्तुत कर दिया। इसलिए प्रकरण में उक्त जबाब को नहीं मानकर अप्रार्थी के निम्न कथन को जबाब के रूप में स्वीकार किया जावे कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार मौके पर एक ट्रक नं. यू.पी. 92 टी. 9044 व एक पिकअप नम्बर ए.एस. 23 सीसी. 2562 व एक छोटा टैंकरनुमा पिकअप नम्बर आर.जे. 21 जी.सी. 6942, ड्रम 10 प्लास्टिक एवं 13 प्लास्टिक टंकिया एवं 8200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार ही मौके पर जब्त किये गये है। उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने पर प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार रसद विभाग नागौर द्वारा मौके पर कार्यवाही कर कुल 8200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया है, जो Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/6234/CAE/ 137/21 दिनांक 21.12.2021 के अनुसार "ख" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है , जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है। अप्रार्थी संख्या–1 श्री चेनाराम द्वारा भी उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

4(1)–रसद विभाग नागौर द्वारा मौके पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के साथ–साथ बोलेरो पिकअप वाहन संख्या ए.एस. 23 सीसी. 2562 में प्लास्टिक के 8 ड्रम भरे हुए व 2 ड्रम खाली पाये गये। डीप रॉड से मापने पर इन ड्रमों मे पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्येक ड्रम में 200–200 लीटर (7ड्रम) एवं एक ड्रम में 180 लीटर इस प्रकार कुल 1580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आ.जे. 21 जी.सी. 6942 जिस पर लगभगर 2000 लीटर क्षमता का एक टैंकर बना हुआ था। टैंकर के पिछे एक डिस्पेसिंग यूनिट मय नोजल लगा हुआ पाया गया। डिस्पेसिंग यूनिट पर पेट्रोलियम पदार्थ की माप प्रदर्शित करने लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ पाया गया। इस टैंकर मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रॉड से माप करने पर टैंकर मे 1920 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। ट्रक वाहन संख्या यू.पी. 92 टी. 9044 में अलग अलग क्षमता की 13 प्लास्टिक टंकिया पाई गई जिसमें भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डीप रॉड से मापन करने पर 1000 लीटर क्षमता की 3 भरी हुई टंकियो में 950–950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कुल 2850 लीटर व एक 2000 लीटर क्षमता की भरी हुई प्लास्टिक की टंकी मे 1850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त ट्रक में 1000 लीटर क्षमता की 8 खाली टंकिया व 2000 लीटर क्षमता की एक खाली टंकी पाई गई। इस प्रकार उक्त ट्रक में कुल 4700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया, जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है, ऐसी कोई अनुज्ञप्ति दौराने कार्यवाही मौके पर अप्रार्थी संख्या–1 चेनाराम द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थ के जब्त कर पुलिस थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दिये गये। अप्रार्थी संख्या–1 चेनाराम व अप्रार्थी संख्या–2 से 4 वाहन मालिको द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि अप्रार्थी संख्या–2 से 4 को हस्तगत प्रकरण में नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये, जो उन्हे डिलिवर हो जाने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी रसद विभाग नागौर द्वारा की गई कार्यवाही पर अप्रार्थी संख्या– 2 से 4 की मौन स्वीकृति अवधारणा की जा सकती है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए सपठित MS & HSD आर्डर 2005 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा एक ट्रक नं. यू.पी. 92 टी. 9044 व एक पिकअप नम्बर ए.एस. 23 सीसी. 2562 व एक छोटा टैंकरनुमा पिकअप नम्बर आर.जे. 21 जी. सी. 6942, ड्रम 10 प्लास्टिक एवं 13 प्लास्टिक टंकिया एवं 8200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को समपहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिया जाता है।

5(1)—प्रकरण में उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं ड्रम 10 प्लास्टिक एवं 13 प्लास्टिक टंकियों का उचित माध्यम से किमतन विक्रय किया जावे एवं उक्त विक्रय से प्राप्त राशि को राजकीय घोषित किया जाता है। विक्रय से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे।

5(2)—प्रकरण में जब्तशुदा वाहनों को समपहरण (Confiscate) किये जाने के विकल्प में जब्तशुदा एक ट्रक नं. यू.पी. 92 टी. 9044 के वाहन मालिक पर 1,40,000/–रूपये (अक्षरे एक लाख चालीस हजार रूपये) एवं पिकअप नम्बर ए.एस. 23 सीसी. 2562 के वाहन मालिक पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। उक्त वाहन मालिकों द्वारा उपर्युक्तानुसार जुर्माना राशि इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां नियमानुसार जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन, वाहनों के वास्तविक मालिकों को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार वाहन मालिकों द्वारा उक्त जुर्माना राशि नियत अवधि में जमा नहीं करवाये जाने पर उक्त वाहनों को खुली नीलामी में नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जावे एवं उक्त नीलामी से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती है।

5(3)—प्रकरण में जब्तशुदा छोटा टैंकरनुमा पिकअप नम्बर आर.जे. 21 जी.सी. 6942 वाहन को समपहरण (Confiscate) किये जाने के विकल्प में उक्त वाहन मालिक पर 60,000/–रूपये (अक्षरे साठ हजार रूपये) जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। उक्त वाहन मालिक द्वारा उपर्युक्तानुसार जुर्माना राशि इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां नियमानुसार जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन, वाहन मालिकं को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। उक्त वाहन को माननीय उच्च्य न्यायालय जोधपुर द्वारा एस. बी.कि.रिविजन पिटिशन संख्या–357/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2022 की पालना में श्री पप्पुराम पुत्र राजूराम जाति जाट आयु 26 साल निवासी जनेवा तहसील जायल जिला नागौर आम मुख्तियार मै. ग्रीन निमोद तहसील डीडवाना जरिये प्रो. मदनलाल पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी डाकीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट का डी.डी. संख्या 287813 दिनांक 27.05.2022 राशि रूपये 4,00,000/–(अक्षरे चार लाख रूपये) का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर उक्त मूल डी.डी. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर को पत्रांक–909 दिनांक 03.06.2022 के द्वारा भिजवाया गया, जिसके कम में प्रभारी अधिकारी (लेखा) आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपने पत्रांक–421 दिनांक 16.06. 2022 से उक्त डी.डी. संख्या 28.7813 की राशि पीडी खाता संख्या 2667 जमा करवा दिया जाना अवगत कराये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 17.06.2022 से उक्त

न्यायालय ... नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने का आदेश दिया जाकर, उक्त आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पत्रांक–945 दिनांक 17.06.22 से पालना हेतु भिजवाई गई। अतः उक्त वाहन मालिक द्वारा उक्त जुर्माना राशि निर्धारित समयावधि में जमा करवा दिये जाने पर उक्त वाहन को मुक्त किया जाता है एवं जिला रसद अधिकारी नागौर उक्त सम्पूर्ण जुर्माना राशि प्राप्त हो जाने की सूचना प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर को भिजवाये, जिस पर प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर पी.डी. खाते में जमा करवाई गई चार लाख रूपये की डीडी की राशि उपर्युक्तानुसार श्री पप्पुराम पुत्र राजूराम जाति जाट को लौटाई जाने का आदेश दिया जाता है। वाहन मालिक द्वारा उक्तानुसार जुर्माना राशि जमा नहीं करवाये जाने पर उपर्युक्तानुसार जुर्माना राशि की वसूली प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर द्वारा उपरोक्तानुसार पी.डी. खाते में जमा राशि 4,00,000 / –में से वसूल की जावे एवं शेष राशि उपर्युक्तानुसार श्री पप्पुराम पुत्र राजूराम जाति जाट को लौटाई जावे, जिसके संबंध में जिला रसद अधिकारी नागौर प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर से कार्यवाही करेगें। उक्त जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाई जावे एवं उक्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर एवं प्रभारी अधिकारी, लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर